प्रेस नोट
दिनांक 17.07.2026

जनपद गोण्डा के 16 आरक्षी/महिला आरक्षी एवं फायरमैन उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) पद पर चयनित–

गोण्डा। जनपद गोण्डा में नियुक्त 16 आरक्षी/महिला आरक्षी एवं फायरमैन का चयन उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) पद पर हुआ है। चयनित कार्मिकों ने अपनी मेहनत, अनुशासन, लगन एवं कर्तव्यनिष्ठा के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। उनकी यह सफलता जनपद गोण्डा पुलिस के लिए गर्व एवं हर्ष का विषय है।_चयनित कार्मिकों में आरक्षी, महिला आरक्षी एवं फायरमैन सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, अनुशासन एवं सेवा भावना के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह सफलता जनपद गोण्डा पुलिस के लिए गर्व का विषय है तथा अन्य पुलिस कर्मियों के लिए भी प्रेरणादायक है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सभी चयनित कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी चयनित आरक्षी भविष्य में भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को और अधिक ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर जनपद गोण्डा पुलिस परिवार ने सभी चयनित कार्मिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं तथा उनके उज्ज्वल एवं सफल सेवाकाल की कामना की।

चयनित कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है–

आरक्षी माधवेश सिंह
आरक्षी शौर्य प्रताप राय
आरक्षी आनन्द मोहन शुक्ला
आरक्षी जीतेन्द्र कुमार गंगवार
आरक्षी अमरनाथ यादव
महिला आरक्षी लक्ष्मी वर्मा
आरक्षी जयदीप यादव
आरक्षी शैलेन्द्र कुमार
आरक्षी सत्यम सिंह
महिला आरक्षी मोहिनी यादव
आरक्षी गौरी शंकर
फायरमैन धर्मवीर
महिला आरक्षी रिया कुमारी राना
महिला आरक्षी मेनका
आरक्षी श्याम जी
आरक्षी रामजी

जनपद गोण्डा पुलिस परिवार द्वारा सभी चयनित कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। आशा व्यक्त की गई कि सभी चयनित अधिकारी अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तथा आमजन की सेवा, सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.07.2026

25,000/– का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–205/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25,000/– रू0 के इनामिया गैंगस्टर विकास यादव पुत्र मुनिराज को राजासगरा के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.05.2026 को थानाध्यक्ष वजीरगंज के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण/चेकिंग के दौरान जनता से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त बब्बन यादव पुत्र स्व० सहाय यादव, विकास यादव पुत्र मुनिराज यादव, राहुल उर्फ अप्पू पुत्र नन्दू यादव व नीरज यादव पुत्र नन्दू यादव द्वारा संगठित गिरोह संचालित किया जा रहा है। उक्त गिरोह समाज में भय बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु दोपहिया वाहन चोरी जैसे अपराध कारित करता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त विकास यादव गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियुक्त विकास यादव की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 25,000/–का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 17.07.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा 25,000/– रू0 के इनामिया शातिर गैंगस्टर विकास यादव पुत्र मुनिराज को राजासगरा के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विकास यादव पुत्र मुनिराज, निवासी ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–205/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष विपुल कुमार पाण्डेय
02. उपनिरीक्षक अंकित कुमार उपाध्याय
03. कांस्टेबल चन्देश वर्मा
04. कांस्टेबल अम्बरीश यादव
05. महिला आरक्षी शिवांजल तिवारी
06. चालक आरक्षी सुनील कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.07.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानेलवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–0658/2026 धारा 118(2), 109(1), 125(I), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– अनिकेत मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा निवासी गुलाम पुरवा, मौजा कपूरपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादिनी खुशबू मिश्रा पुत्री परशुराम मिश्रा निवासी ग्राम गुलाम पुरवा, मोकलपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 12.07.2026 को रास्ते में गड्ढा खोदने के विवाद को लेकर विपक्षीगणों द्वारा वादिनी एवं उसके पिता के साथ गाली–गलौज करते हुए लाठी–डंडा, थप्पड़–मुक्कों एवं फावड़े से मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 17.07.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त अनिकेत मिश्रा उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. अनिकेत मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा निवासी गुलाम पुरवा, मौजा कपूरपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0– 0658/2026 धारा 118(2), 109(1), 125(I), 352, 351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 विवेक कुमार, चौकी प्रभारी एस.सी.पी.एम.
02. हे0का0 ध्रुव कुमार
03. का0 संदीप कुमार यादव
04. का0 राजू खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा